दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिश्रित उ.मा. विद्यालय, नैनपुर
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY M.H.S. SCHOOL
Near Rly. Station, Nainpur (M.P.) – 481776
Phone:07646 – 292004
Email:secrmhss.nainpur@gmail.com
Website-www.railwayschoolnainpur.in
CBSE AFFILIATION NO. : 1080015 **SCHOOL CODE - 54014**

प्रति, दिनांक 23.07.2025

सर्व साधारण

....

विषयः–हाउस कीपिंग असिस्टेंट प्रदान करने हेतु नवीन निविदा जमा करने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 19/07/2025 को जारी की गई निविदा, जो कि आज दिनांक 23/07/2025 को खोली गई थीं परंतु उनमें दिया गया न्यूनतम मूल्य भी अत्यधिक होने एवं विद्यालय के स्कूल डेवलपमेंट फंड पर अत्यधिक बोझ पडने की संभावना के कारण विद्यालय हित में न होने से, पूर्व में जारी निविदा को निरस्त करते हुए विद्यालय के दोनों भवनों/परिसरों की साफ–सफाई हेतु शासन द्वारा पंजीकृत किसी बाहरी एजेंसी से 02 हाउस कीपिंग असिस्टेंट प्रदान करने हेतू पुनः निविदाएं जमा करने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु कार्य का विवरण एवं आवश्यक नियम व शर्तेः–

1–**समय सामान्य दिनों में**– सुबह 08:30 से दोपहर 12:30 एवं दोपहर 02:00 से सायं 06:00 बजे तक ।

नोटः–विद्यालय की आवश्यकतानुसार समय परिवर्तित किया जा सकता है।

2–**वैकल्पिक कर्मचारी**– यदि ठेका प्राप्त करने वाली संस्था के द्वारा भेजे जा रहे किसी कर्मचारी के द्वारा अवकाश लिया जाता है तो संबंधित संस्था उसके बदले अन्य कर्मचारी को निर्धारित समय पर भेजकर कार्य कराना सुनिश्चित करेगी।

3–**कार्य का विस्तृत विवरण**– (टॉयलेट्स की धुलाई व सफाई), (कॉरीडोर व सभी कमरों, अलमारियों, खिडकियों, रोशनदानों तथा विद्यालय की अन्य सामग्री की सफाई एवं पोछा), खेलकूद का मैदान व अन्य सभी विद्यालय परिसर के भीतर व बाहर स्थित स्थान, जहां विद्यालय की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं की साफ–सफाई व कचरा निस्तारण करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह संपूर्ण बिल्डिंग में लगे जाले आदि भी निकालने होंगे। जरूरत पडने पर बिल्डिंग की छत आदि की भी साफ–सफाई करनी होगी।

4–**आवश्यक सामग्री**– आवश्यक समस्त सामग्री व उपकरण विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिखित मांगपत्र प्रस्तुत करने पर विद्यालय के खर्च पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5–**पारिश्रमिक**– मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर घोषित की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी जो अप्रशिक्षित कर्मचारियों हेतु 1 अप्रैल 2025 को रूपये 466.35 प्रति कार्यदिवस है, से कम का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जा सकेगा। **इससे कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।**

6–विद्यालय में कार्य हेतु भेजे गए कर्मचारियों को मासिक भुगतान करने की रसीद की छायाप्रति के साथ विद्यालय प्राचार्य के समक्ष बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान अर्थदंड काटकर एकाउंट पेयी चैक द्वारा किया जाएगा।

7–वर्तमान में ठेका 30 अप्रैल 2026 तक के लिये दिया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता सही होने पर इसे आगे बढाया जा सकेगा। कार्य की गुणवत्ता सही नहीं होने पर ठेका इससे पहले भी निरस्त करने का अधिकार विद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य की गुणवत्ता अमानक व असंतुष्टिदायक होने की स्थिति में ऐसे प्रत्येक कार्यदिवस के लिए 1,000/– रूपये अर्थदंड लगाया जाएगा। जिसकी वसूली मासिक भुगतान बिल में से की जाएगी। कर्मचारियों की संख्या विद्यालय की आवश्यकतानुसार विद्यालय प्राचार्य निर्धारित कर सकेंगे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिश्रित उ.मा. विद्यालय, नैनपुर
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY M.H.S. SCHOOL
Near Rly. Station, Nainpur (M.P.) – 481776
Phone:07646 – 292004
Email:secrmhss.nainpur@gmail.com
Website-www.railwayschoolnainpur.in
CBSE AFFILIATION NO. : 1080015 **SCHOOL CODE - 54014**

नोटः–रेलवे द्वारा किसी स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी की विद्यालय में साफ–सफाई हेतु नियुक्ति किये जाने पर यह ठेका तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठेका कर्मचारियों को कार्य के आधार पर रेलवे से किसी भी प्रकार की नियुक्ति स्थायी अथवा अस्थायी पद पर मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8–ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को विद्यालय की साफ–सफाई के लिये भेजा जाएगा, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा एवं उसकी छायाप्रति विद्यालय प्राचार्य के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

9–ठेका एजेंसी द्वारा प्रदान किये गये कर्मचारियों के आचरण, सुरक्षा व कर्मचारी की क्षतिपूर्ति हेतु ठेका एजेंसी जिम्मेदार होगी, उपरोक्त कार्य हेतु रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिदिन अपने पहचानपत्र के साथ यूनिफॉर्म ठेका एजेंसी के व्यय पर पहनना अनिवार्य होगा।

10– ठेका एजेंसी द्वारा भेजे गए कर्मचारियों की उपस्थिति रिकार्ड ठेका एजेंसी के द्वारा रखा जाएगा एवं प्राचार्य द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कर्मचारी का कार्य, आचरण व व्यवहार उससे अपेक्षा के विपरीत पाया जाता है तो उसे तत्काल कार्य से हटा दिया जाएगा।

11– ठेका एजेंसी द्वारा भेजे गए कर्मचारियों के द्वारा विद्यालय की किसी सामग्री की चोरी या नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई ठेका एजेंसी को करना होगी। इस हेतु ठेका कंपनी को सुरक्षा निधि के रूप में 25,000/– रूपये नगद विद्यालय प्राचार्य के पास जमा करने होंगे जिसमें से नुकसान/चोरी की भरपाई की जाएगी, कमी पडने पर शेष राशि भी भुगतान करना होगी। ठेका समाप्ति पर सुरक्षा निधि में शेष राशि को लौटाया जाएगा।

12–ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसी को विद्यालय प्राचार्य के साथ इस संबंध में उचित स्टांप पर एग्रीमेंट अपने व्यय पर इन्हीं शर्तों पर करना होगा।

यदि आप इस कार्य हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 30 जुलाई 2025 को समय सायं 04:00 बजे तक या उससे पूर्व विद्यालय प्राचार्य को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन सायं 04:00 बजे कमेटी मेंबर्स द्वारा प्राचार्य कक्ष में खोली जाएगी, जिसमें आप उपस्थित रह सकते हैं।

तुलनात्मक निविदा अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के पास भेजी जाएगी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वर्क ऑर्डर प्राचार्य द्वारा सुरक्षा निधि राशि 25,000/– नगद प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।

Teachers' Committee members and their signatures-

Anand Mishra (PGT)

Santosh Kumar Yadav (PGT)

Hansraj Vinobapuri (PST)

23.07.2025
Principal/SECRMHSS/NIR

उ/(प्राचार्य /PRINCIPAL
द.पू.म.रे मि.उ.मा.वि.नैनपुर
S.E.C.R.M.H.S.S. NAINPUR